

बिहार विधान सभा सचिवालय

ज्ञापक-1स्था-198/2021- 1348

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 23/07/2021

आदेश

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय में जनसम्पर्क पदाधिकारी के लिए अनुशासित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 03.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वा० में बिहार विधान सभा सचिवालय के विस्तारित भवन स्थित कक्ष संख्या-25 में निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	लिंग
कोटि-अनारक्षित						
1.	174853	श्री प्रभात कुमार	श्री उदय नाथ झा	मु०-द्वारिकापुरी, गाँव-दिलावरपुर, धाना-बहादुरपुर, डाकघर-मिल्की चक, जिला-दरभंगा, पिन-846009, ई-मेल-pkmech12306@gmail.com	04.02.1995	पुरुष
कोटि-अत्यंत पिछड़ा वर्ग						
2.	454363	श्री आकाश दीप	श्री अशोक कुमार गुप्ता	गुप्ता मेडिकल हॉल, छोटी बलिया, स्टेशन रोड, लखमिनिया, बेगुलराय, पिन-851211 ई-मेल-akashaashu30@gmail.com	30.05.1990	पुरुष


अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व निर्धारित स्थल पर अवश्य पहुँच जाएँ।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

1. दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो ।
2. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति) ।
3. इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति) ।
4. स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए


- (a) जाति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - (c) क्लीमिलेवर रहित प्रमाण पत्र
6. विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण पत्र (यदि हो) ।
 7. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) या कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यापन विभाग (डॉ.ओ.ई.ए.सी.सी.) की मान्यता प्राप्त हो या डी.ओ.ई. ए.सी.सी. द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवाधि के संदर्भ में 'ओ' स्तर के समतुल्य विषय या कम्प्यूटर दक्षता जाँच संबंधी प्रमाण पत्र ।
 8. आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे । जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है ।


 (असीम कुमार)
 उप सचिव,
 बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापक-1स्था-198/2021- 1348

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 23/07/2021

प्रति:- श्री प्रभात कुमार, पिता का नाम-श्री उदय नाथ झा, स्थायी पता-मु०-द्वारिकापुरी, गाँव-दिलावरपुर, थाना-बहादुरपुर, डाकघर-मिल्की चक, जिला-दरभंगा, पिन-846009, ई-मेल pkmech12306@gmail.com / श्री आकाश दीप, पिता का नाम-श्री अशोक कुमार गुप्ता, स्थायी पता-गुप्ता मेडिकल हॉल, छोटी बलिया, स्टेशन रोड, लखमिनिया, बेगुसराय, पिन-851211, ई-मेल akashaashu30@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापक-1स्था-198/2021- 1348

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 23/07/2021

प्रतिलिपि :- श्रेय एवं दृश्य इकाई/शाखा, बिहार विधान सभा को बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

